महत्वपूर्ण।

कार्यालय–उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0 – 01373-223433,Email - gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 828 / 12-1 पुरोलाः दिनांक 27/10/ 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पुरोला, उत्तरकाशी।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी0 स्पान का स्टील गार्डर पुल के निर्माण हेतु 0.224 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड, लोक विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/OTHER/9741/2015.)**

सन्दर्भः– **निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–1628/12–1, दिनांक–27.10.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति इस आशय से आपको प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये बिन्दु संख्या 1 की आपत्ति का निराकरण आपके कार्यालय स्तर से किया जाना है, जिस कारण प्रस्ताव को ऑनलाईन आपको वापस किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बिन्दु संख्या 1 की आपत्ति का निराकरण कर ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक–28.09.2021 तक इस कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण को ससमय उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डी0पी0बलूनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

फोन / फैक्स : 0135–2621669ई–मेल : director.rajaji@gmail.com
कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5 / 1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

सेवा में, पत्रांक 1628 / 12-1 देहरादून, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021।

उप निदेशक,
गोविन्द वन्यजीव विहार / राष्ट्रीय पार्क,
पुरोला (उत्तरकाशी)।

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–394 / 2013 के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सुपिन नदी पर घौला नामक स्थान पर 42.00मी0 स्पान के लौह मोटर सेतु के निर्माण हेतु वांछित 0.224है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (आनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/9741/2015)**

सन्दर्भः– आपका ई0डी0एस0 पत्रांक 758 / 12–1, दिनांक 18–10–2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की फाईल सं0–8बी0 / यू.सी.पी. / 06 / 65 / 2016 / एफ0सी0 / 2323 दिनांक 19–02–2021 द्वारा इंगित बिन्दुवार ऑनलाईन आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के ई0डी0एस0 दिनांक 22–02–2021 द्वारा आपको अवगत कराया गया था। उक्त ई0डी0एस0 पत्रों के अनुपालन में आपके द्वारा आनलाईन आपत्तियों का निराकरण करते हुए ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 18–10–2021 को इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु लगभग (08) आठ माह बाद प्रेषित किया गया। ऑनलाईन ई0डी0एस0 पत्र एंव आनलाईन प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / दस्तावेजों की वृत्त / निदेशक, कार्यालय के स्तर से जॉच / परीक्षण उपरान्त आनलाईन प्रस्ताव में भारत सरकार की ई0डी0एस0 दिनांक 01–03–2018 के द्वारा चाही कतिपय बिन्दुओं की सूचना / आख्या अनुरूप नहीं पायी गयी। जिनके परिपूर्ण निराकरण हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव इस आशय वापस किया जा रहा है कि कृपया भारत सरकार की मंशा के अनुरूप ई0डी0एस0 पत्रों में इंगित आनलाईन आपत्तियों का निराकरण कर स्पष्ट सूचनाओं सहित आनलाईन प्रस्ताव समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण इस स्तर से अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया जा सके।

1. बिन्दु सं0 1 के कम में आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नोडल कार्यालय के स्तर से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है का उल्लेख किया गया है। जबकि बिन्दु सं0 1 में भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 19.02.2021 में 01.03.2018 की अनुपालन आख्या 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में नोडल कार्यालय को प्रकरण में गम्भीरता से परीक्षण कर परिपूर्ण उत्तर एक साथ प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। ऑनलाईन प्रस्ताव एंव उच्च स्तर से इंगित ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण / प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने एंव बिलम्ब स्तर / प्रयोक्ता एजेन्सी से इस आशय की आख्या दिये जाने की अपेक्षा की गयी थी।
2. बिन्दु सं0 3 के कम में आपके द्वारा उक्त लौह मोटर सेतु का निर्माण गोविन्द वन्यजीव विहार / रा0पार्क पुरोला के वन्यजीव विहार, संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उल्लेख है जैसा कि DFO की SIR में दर्ज है। जबकि online Part-II के पैरा 2 के कॉलम 4 में RF दर्ज / अपलोड है। कृपया आनलाईन प्रस्ताव के Part-II एंव हार्ड प्रति में एकरूपता रखी जाय।
3. बिन्दु सं0 7 के कम में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उच्चस्तर से दिये गये निर्देशानुसार DFO स्तर की पुरानी SIR Report को ऑनलाईन भाग II से हटा दिया गया है। जबकि ऑनलाईन भाग II के पैरा 16 में अभी भी DFO स्तर की पुरानी SIR Report अपलोड है। कृपया ऑनलाईन भाग II के पैरा 16 में DFO स्तर की पुरानी SIR Report के स्थान पर Recommendation Letter अपलोड किया जाय।

भवदीय

(डी0के0सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 1628 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला, उत्तरकाशी को उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।